

30.10.17

पत्रावली पैरा इडी अधिवक्ता अपीलान्त अनु. 1
बार-2 अलग-2 समय पर पार्थी को
आवाज दित्तवादि गई किंतु कोई उपस्थित
नही हुए। अतः प्रकरणा अदम हाजरी व
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
बाद पूर्ण पत्रावली प्रविष्ट लेख मंडार
है। खुले न्यायालय सुनाया गया।

जिला कलेक्टर
दौडा